न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या **04/2022**   दायर दिनाँक **10.01.2022**

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तेजाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल हाल निवासी दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर वगैराह।

प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम– 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **17.06.2022**

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/38 दिनाँक **07.01.2022** के द्वारा ग्राम– **दुदोली** पटवार मण्डल– **पालोट** भू0अ0 निरीक्षक **कोलिया** खेत खसरा सं0 **123, 1093/118, 1092/118, 118, 113, 112, 110, 107, 97** की सरहद में संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालु रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा। अप्रार्थीगण नोपाराम, भगवानाराम, भंवरी, उषा, सुवटी, मोटाराम, भंवरीदेवी, बालाराम, फुला, तेजाराम, मोहनराम, पन्नाराम, नोपाराम, दानाराम, सोहनराम, सुवादेवी, मूलाराम, भंवरलाल, पार्वती, नारायणराम, तेजाराम, मांगीलाल, भागुराम, गोपालराम, गणेशराम, चोखा, सोहना, अर्जुन, बावजुद तामील के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार **दुदोली** पटवार मण्डल– **पालोट** भू0अ0 निरीक्षक **कोलिया** खेत खसरा सं0 **123, 1093/118, 1092/118, 118, 113, 112, 110, 107, 97** का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:33:31 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner